दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 26-06-2025

पीएससी ने कहा- आरटीआई में जानकारी देने को तैयार

याचिका लंबित होने से नहीं दी थी जानकारी

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक भर्ती परीक्षा को लेकर आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी। जानकारी नहीं मिलने पर अभ्यर्थी ने राज्य सूचना आयोग में मामला प्रस्तुत किया था। आयोग ने पीएससी को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। पीएससी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को पीएससी की तरफ से बताया गया कि संबंधित परीक्षा को लेकर याचिका लंबित होने के कारण सूचना देने से इनकार किया गया था। चूंकि अब वह मामला निराकृत हो चुका है, ऐसे में नियमों के तहत जानकारी देने तैयार हैं। इस पर हाई कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

पीएससी की एक परीक्षा को लेकर रायपुर निवासी चंद्रकांत पाण्डेय ने सूचना के अधिकार के तहत पीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी मांगी थी। पीएससी के इनकार करने पर उसने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने 10 जनवरी 2019 को पीएससी को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। इस आदेश को सीजी पीएससी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आयोग के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। पीएससी की तरफ से एडवोकेट आनंद मोहन तिवारी ने कहा कि आयोग ने याचिका लंबित होने के कारण जानकारी देने से इनकार किया था। याचिका पर सितंबर 2024 को फैसला हो चुका है, ऐसे में पीएससी अब संबंधित जानकारी देने को तैयार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केरल लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग के मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अब अंक देने में अब कोई बाधा नहीं है। साथ ही बताया कि चयनित उम्मीदवारों के अंक आयोग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आयोग को 30 दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी देने को कहा है। साथ ही याचिका निराकृत कर दी गई है।